तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 716 / 2024 अनवान धापू बनाम आसुराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21/04/2025	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त पैतृक खातेदारी का खेत मौजा कुम्भावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.8079 हैक्टेयर, ख्सरा नम्बर 393 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.0647 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 395 रकबा 13.9535 हैक्टेयर के आये हुवे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। खसरा नम्बर 392 में प्रार्थीगण संयुक्त रूप से 3 / 32 एवं खसरा नम्बर 393, 394 व 395 में 1 / 8 हिस्सा व शेष हिस्सा विप्रार्थी सं0 01 से 12 के खातेदारी का आई हुई है। पक्षकारान का अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से में ढाणी, पशु बाड़े आदि बने हुवे है। वर्तमान में विप्रार्थीगण बिना भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना जबरन कब्जा एवं विवाद कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण उसमें सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करे कि वादग्रस्त भूमि मौजा कुम्भावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.8079 हैक्टेयर, ख्सरा नम्बर 393 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.0647 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 395 रकबा 13.9535 हैक्टेयर भूमि में रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 12 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर भूमि पर अवैध निर्माण करते हुए बैचान किया जाता है	

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। मूल वादी वादी साक्ष्य में विचाराधीन हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान करते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक तक मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 12 को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा कुम्भावास पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.8079 हैक्टेयर, ख्सरा नम्बर 393 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.0647 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 395 रकबा 13.9535 हैक्टेयर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर